प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक-49 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 12-19 दिसम्बर 2016 मूल्य पांच रूपए

अब वीरभद्र ने आयकर अपील अधिकरण को कहा कंगारू कोर्ट

शिमला/बलदेव शर्मा

सीबीआई और ईडी में मामले झेल रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज की निष्ठा पर

सवाल उठाने के बाद आयकर विभाग के चण्डीगढ़ स्थित अपील प्राधिकरण पर रोष प्रकट करते हुए उसे वित्त मन्त्री अरूण जेटली का कंगारू कोर्ट करार दिया है। स्मरणीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे सीबीआई मामले में फैसला सुरक्षित चल रहा है औरआयकर प्राधिकरण में वीरभद्र सिंह के खिलाफ फैसला आ गया है। सीबीआई में वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। इस मामले का आधार वीरभद्र सिंह द्वारा मार्च 2012 में तीन वर्षो की संशोधित आयकर रिटर्नज दायर करते हुए पहले दिखायी गयी 47.35 लाख की मूल आय को संशोधन में 6.10 करोड़ दिखाना बना है। बढ़ी हुई आय को सेब बागीचे की आय कहा गया लेकिन जांच में यह दावा सही नही पाया गया इसलिये यह आय से अधिक संपत्ति का मामला माना गया।इस अघोषित आय को बागीचे की आय बताकर वैध बनाने का प्रयास ईडी में मनीलॉडरिंग बन गया और ईडी में भी सीबीआई के बाद मामला दर्ज कर लिया गया। ईडी इसमें करीब आठ करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है और इसमें एलआईसी एजैन्ट आनन्द चौहान इस समय जेल में है। क्योकि आनन्द चौहान ने बागीचे का प्रबन्धक बनकर इस अघोषित आय को एलआईसी की पालिसियों के माध्यम से वैध बनाने में केन्द्रिय भूमिका निभायी है।

वीरभद्र इस पूरे मामलें को आपराधिक न मानते हुए आयकर का मामला करार देते आये हैं। लेकिन अब जब आयकर अपील प्राधिकरण ने भी उनके दावे को अस्वीकार कर दिया है तो उनकी कठिनाई बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि यदि आयकर अपील प्राधिकरण उनके दावे को स्वीकार कर लेता तो इससे सीबीआई और ईडी में चल रहे मामलों की बुनियाद हिल जाती। लेकिन अब ऐसा नही हुआ है और इससे सीबीआई तथा ईडी का आधार और पुख्ता हो जाता है। आयकर प्राधिकरण के फैसले की अपील हिमाचल उच्च न्यायालय में दायर हो चुकी है लेकिन अदालत ने प्राधिकरण के फैसले को स्टे नही किया है और यह शपथ पत्र दायर करने को कहा है कि क्या यह वही मामला है जो दिल्ली में चल रहा है या उससे भिन्न हैं यदि इस मामले के तथ्य और संद्धर्भ दिल्ली में चल रहे मामले के ही अनुरूप पाये जाते हैं तो इस मामलें को भी दिल्ली उच्च न्यायालय को ही भेज दिये जाने की संभावना हो सकती है। क्योंकि हिमाचल उच्च न्यायालय से वीरभद्र का मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानान्तरित होकर वहां फैसले के कगार पर पहुंचा हुआ है।

आयकर अपील प्राधिकरण के फैसले को वीरभद्र ने एचपीसीए के खिलाफ प्रदेश विजिलैन्स द्वारा चलाये जा रहे मामलों की रिर्टन गिफ्ट करार दिया है। वीरभद्र उनके खिलाफ आयकर, सीबीआई और ईडी में चल रहे मामलों को लगातार धूमल, जेटली और अनुराग का षडयंत्र करार देते आ रहे हैं। इस षडयंत्र का आधार वह एचपीसीए के मामलों को बताते हैं। लेकिन स्मरणीय है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रशांत भूषण के एनजीओ कामन कॉज ने तो यूपीए शासन में सीबीआई और सीवीसी के यहां शिकायतें कर दी थी और इन्ही शिकायतों का परिणाम है कि सीबीआई और ईडी 2015 के अन्त में मामले दर्ज किये जो आज इस मुकाम तक पहुंच गये हैं। दूसरी ओर एचपीसीए के खिलाफ 2013 में ही विनय शर्मा की शिकायत आ गयी थी। एचपीसीए का मामला कांग्रेस के आरोप पत्र में भी था और उसी के आधार पर विजिलैन्स ने इसमें मामले दर्ज किये। एचपीसीए को जमीन आबंटन से लेकर होटल पैब्लियन बनाने के लिये पेड़ काटने, स्टेडियम के लिये धर्मशाला कॉलिज के आवासीय होस्टल को गिराकर उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने तथा एचपीसीए के सोसायटी से कंपनी बनने तक के सारे प्रकरणों में जिन-जिन अधिकारियों की सक्रिय भूमिका रही है वह सब वीरभद्र के इस शासन में उनके विशेष विश्वस्त रहे हैं। बल्कि कई अधिकारियों को तो विजिलैन्स ने चालान में खाना 12 को दोषी दर्ज कर रखा है। एचपीसीए के लाभार्थीयों को तब तक सजा नही हो सकती जब तक खाना 12 में नामजद लोगों को सजा नही होती। लेकिन खाना 12 में नामजद यह अधिकारी आज भी मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम पदों पर बैठे हैं। संभवत इन्ही लोगों के कारण सोसायटी से कंपनी बनाये जाने का मामला अभी तक आरसीएस और उच्च न्यायालय के बीच लंबित है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एपीसीए को लेकर वीरभद्र जो भी ब्यानवाजी जनता में कर रहे हैं वह तथ्यों पर आधारित नहीं है बल्कि इसके माध्यम से इन लोगों पर अपने पक्ष में दवाब बनाने का प्रयास है। क्योंकि दोनों चीजें एक ही वक्त में सही नही हो सकती कि एचपीसीए के खिलाफ आरोप भी सही हों और एचपीसीए को अनुमति लाभ पहुंचाने में केन्द्रिय भूमिका निभाने वाले अधिकारी ही वीरभद्र सिंह की सरकार चला रहे हों। वैसे वीरभद्र सिंह प्रशासन और जांच ऐजैनसीयों पर किस तरह दवाब बनाते हैं यह मार्च 1999 में कामरू मूर्ति प्रकरण की पुनः जांच किये जाने को रोकने के लिये लिखे पत्र से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इस समय भी ठीक वैसा ही परिदृश्य है।

पिछले चार माह में हुए जमीन खरीद के बड़े मामले जांच ऐजैन्सीयों के राडॉर पर

✔ आयकर और ईडी ने राजस्व प्रशासन से तलब किया रिकार्ड

✔ शिमला शहर के 65 मामले जांच के दायरे में

शिमला/बलदेव शर्मा

कालेधन के खिलाफ अपनी कारवाई को आगे बढ़ाते हुए केन्द्र सरकार के आयकर विभाग के जांच विंग और ईडी ने जिलों के राजस्व प्रशासन से पिछले चार माह में जमीन खरीद-बेच के उन मामलों का रिकार्ड तलब किया है। जिनमें 25 लाख या इससे अधिक का लेन-देन हुआ है। स्मरणीय है कि केन्द्र सरकार ने इसी वर्ष स्वेच्छा से कालाधन/बेनामी संपत्तियों की घोषणा की योजना जारी की थी। यह योजना 30 सितम्बर को समाप्त हुई और उसके बाद इस योजना के तहत हुए खुलासों का आकलन करने के बाद 8 नवम्बर को नोटबंदी की घोषणा की गयी। अब नोटबंदी के साथ ही जमीन खरीद के बड़े मामलों की जांच शुरू की जा रही है। राजस्व प्रशासन से रिकार्ड तलब करने के साथ ही 11 जनवरी को आयकर विभाग राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में जमीन खरीद के आये रिकार्ड पर विस्तृत चर्चा की जायेगी ।

सूत्रों के मुताबिक शिमला जिला प्रशासन ने 1.4.16. से 30.11.16 तक हुए सारे जमीन खरीद-बेच सौंदो का रिकार्ड भेज दिया है। इसके मुताबिक 1.4.16 से 30.11.16 तक शिमला शहर में 25 लाख या इससे अधिक के लेन-देन की 123 रजिस्ट्रीयां हुई हैं। अगस्त से नवम्बर तक 65 रजिस्ट्रीयां हुई हैं। जबकि 8.11.2016 को नोटबंदी की घोषणा के बाद 2.27 करोड़ की खरीद बेच की पांच रजिस्ट्रीयां हुई है। इनमें 26.10.2016 और 4.11.2016 को शिमला के करेड्र में कुल्लु-मनाली के डुंगरी निवासी बख्शी परिवार के सदस्यों के नाम रजिस्ट्रीयां हुई है। इनमें हरेक रजिस्ट्री में प्रत्येक प्लाट 325.75 वर्ग मीटर है और हर प्लाट की कीमत 28 लाख दर्ज है। इसी दौरान कलस्टन में गुड़गांव निवासी चीमा परिवार ने 141.26 वर्ग मीटर 49.84 लाख में 10.10.2016 को खरीदी और 18. 10.2016 गौतम नगर दिल्ली के अमित भारद्वाज ने पांजड़ी में 229.92 वर्ग मीटर 80 लाख में खरीदी है। इन दोनों मामलों में धारा 118 के तहत सरकार से अनुमति लिये जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जबकि कुल्लु मनाली के डुंगरी निवासी बख्शी परिवार में पत्नी का कृषक प्रमाण पत्र मनाली का बना हुआ है और पति का कृषक प्रमाण पत्र नालागढ़ से बना है। नालागढ़ से कृषक प्रमाण पत्र बनाये जाने का आधार इनके दादा का कभी नालागढ़ में कृषक होना बताया गया है। क्योंकि हिमाचल सरकार ने 2014 में एक संशोधन करके उन लोगों को कृषक होने का लाभ दिया है जिनके पूर्वज कभी प्रदेश में कृषक रहे हों।

आठ नवम्बर को नोटबंदी की घोषणा के बाद शहर में 2.27 करोड़ के पांच मामले पंजीकृत हुए हैं। क्या इन मामलों में सारा लेन-देन चैक के माध्यम से हुआ है। इसका पूरा खुलासा समाने नहीं आया है। बहरहाल यह सारे मामले जांच ऐजैन्सी के राडॉर पर आ गये हैं।

नोटबंदी के बाद हुई खरीद

LIST OF SALE/ CONVEYANCE DEEDS REGISTERED BETWEEN DATES: 01/04/2016 AND 30/11/2016

पंजीकरण कार्यालय: शिमला(शहरी)

Deed Transaction Amount >= 2500000

जिला: शिमला

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या व दिनांक	विक्रेता का नाम व पता	क्रेता का नाम व पता	राजस्व महाल का नाम जिसमें हस्तान्तरण हुआ है	कुल हस्तान्तरित रकबा	हस्तान्तरित रकबे की प्रतिफल राशि रूपयों में	हस्तान्तरित रकबे का बजारी भाव रूपयों में	प्रभारित स्टाम्प शुल्क रूपयों में	प्रभारित पंजीकरण फीस रूपयों में
119	838/2016 08/11/2016	Sh., Sanjeev Kumar पुत्र Sunder Singh पुत्र -, R/O Vill. Bakhrina Tehsil Rohru Distt. Shimla Pan No. AGIPC8082E Randeep पुत्र Gian Chand पुत्र -, R/O Vill. Shuv Puri Tehsil Kotkhari Distt. Shimla HPPan No.AGEPC8423D	Smt. Madhuri Kaul पत्नी Neeraj Kaul पुत्र - ,R/O Vill. Kaich PO Shari (Matyan) Tehsil Theog Distt. Shimla Pan No. ,CHMPK9679J	उप महाल सन्जौली बाजार	58-2 Sq. Metre	6000000	5486326	180000	120000
120	853/2016 25/11/2016	Sh. Sanjeev Kuthiala पुत्र Dev Raj Kuthiala पुत्र -, R/O H.No. 78, Butail Building Ram Bazar Shimla Tehsil & Distt. Shimla Pan No. AGFPK4199P	Smt. Jyoti Rana पत्नी Sanjay पुत्र Late Sh. Prem Chand ,R/O H.No. 24, Behind Gurdwara Jutogh Cantt, Shimla Tehsil & distt. Shimla Pan No. BACPR7989G	धार	120-0 Sq. Metre	3000000	2850000	90000	60000
121	858/2016 28/11/2016	Employess Co-operative Society thrg President पुत्र - पुत्र -, VEst& Apartment Bharari Shimla Pan NO- AAABE0600Q) through OTHER Kishore Lal Thakur पुत्र President of the Society पुत्र - ,r/o Vest& Apartment Bharari Simla	Monika Sharma पत्नी RAjeev Sharma पुत्र - ,r/o Flat No- C-3 Second floor Vest& Apartment harari Shimla (Pan No-ASRPS9490H)	भराड़ी	95-9 Sq. Metre	2600000	1900000	78000	52000
122	863/2016 29/11/2016	Km.Swaroop Rani पुत्री AmarNath Dogra पुत्र -, r/o Dogra NIwasanjauli Shimla (Applied under App No-166742902) through GPA AnujDogra पुत्र OmSwaroop Dogra पुत्र - ,r/oDogra Niwas Sanjauli Shimla	MeenaChandel पत्नी Pawan Chandel पुत्र -= ,r/o Village Pandli Tehsil Kotkhai Distt Shimla(Pan No.AHNPC0549A)	उप महाल सन्जौली बाजार	230-10 Sq. Metre	6500000	1324916	260000	130000
123	866/2016 30/11/2016	Sh. Parmod Sood पुत्र Late Sh. Varinder Pao Sood पुत्र -, r/O Paras Dass Garden Shimla -1 ACRPS5591D through GPA Sh. Gaurav Sood पुत्र Sh. Parmod Sood पुत्र - ,R/O Pars Dass Gardan Shimla	Smt. Sushma Chauhan पत्नी Dr. Chander Gopal Singh पुत्र - ,R/O H. No.-32, Sector-2 New Shimla Tehsil & Distt. Shimla Pan No. AASPC6036C	उप महाल कैथू द्वितीय	88-47 Sq. Metre	9600000	9558000	288000	1920

राज्यपाल का प्रदेश में रक्षा अकादमियों की आवश्यकता पर बल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमाचल में रक्षा आकदमियों खोलने पर बल दिया जिससे राज्य के युवाओं को रक्षा बलों में भर्ती के लिए सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा उतीर्ण करने में मदद मिल

सके। उन्होंने कहा कि इन अकादमियों से अभ्यर्थियों को रक्षा बलों के प्रति रूचि पैदा होगी और इससे इन बलों में अधिकारियों की कमी दूरी होगी साथ ही प्रदेश के युवाओ को रोजगार के अवसर भी मिलेगें।

राज्यपाल राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 25वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा यहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि इन युवाओं को कठिन परिस्थितियों में रहने के कारण ऐसे परिदृश्य में सेवा प्रदान करने का अधिक अनुभव है और उन्हें रक्षा सेवाओं में और अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के पुर्नरोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उनके पुनर्वास के लिए के कारगर कदम उठाए जाने चाहिए।

आचार्य देवव्रत ने सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके हितों की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं, जिनकी तीव्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों की सराहना की।

सैनिक बोर्ड की बैठक का आयोजन राजभवन में किया गया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार पूर्व सैनिकों तथा सेवारत सैनिकों के कल्याण के प्रति कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि जिन पूर्व सैनिकों को किसी भी प्रकार की पैंशन नहीं मिल रही है उन सैनिकों को पैंशन देने के उद्देश्य से यह मामला बजट स्पीच में लाया जाएगा ताकि उन्हें भी नियमित पैंशन की सुविधा प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ने बैठक में स्वीकृति दी कि युद्ध विधवाओं की सुपुत्रियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया जाए। उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग में रिक्त पड़े पदों को भी भरने की स्वीकृति दी, जिन पर पूर्व सैनिकों की तैनाती की जाती है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में मिलिटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन में 1.60 करोड़ रुपये की लागत से सैनिक विश्राम गृह का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें पार्किंग का प्रावधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैनिक विश्राम गृहों की मरम्मत तथा निर्माण के लिए 2.50 करोड़ जारी किए गए हैं। पूर्व सैनिकों को उनके कल्याण से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए टॉल फ्री नम्बर लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की।

प्रदेश के पूर्व सैनिकों के बच्चों को सेना में एसएसबी की कोचिंग के लिए प्रोत्साहन राशि को 6 हजार रुपये कर दिया गया है। पूर्व सैनिकों तथा उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष निधि से छात्रवृतियों के लिए आय सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है, ताकि ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय डिफेंस अकादमी, खड़कवासला तथा टेक्निकल एंट्री योजना में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को दी जाने वाली छात्रवृति को भी बढ़ाने के स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि सैनिक विश्रामगृहों में आवश्कता के अनुसार चौकीदार-कम -वेटर के पदों की संख्या बढ़ा कर उनकी शीघ्र तैनाती की स्वीकृति भी प्रदान की।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सैनिक कल्याण मंत्री डा. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि पूर्व सैनिकों का कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस वर्ष शौर्य पुरस्कार के तहत तीन करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है तथा पूर्व सैनिकों को वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के तहत 6.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देकर लभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शहीदों के परिवारों को 1.15 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी की गई है।

इस अवसर पर निदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड ब्रिगेडियर एस.के. वर्मा ने विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य सचिव वी.सी.फारका, अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी व अन्य अधिकारी भी अन्यों के अलावा इस अवसर पर उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rates tenders on form No. 6&8 are hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of H.P. for the following work from registered PWD contractor of relevant class. The tenders should reach this office on or before 12.01.2017 upto 10:30 A.M. and shall be opened on the same day. At 11:00 A.M. in the presence of tenders or their authorized representative who wish to be present. The telegraphic and conditional tenders shall not be accepted. The tender forms can be had from this office against cash payment (Non-refundable) upto 11-01-2017 till 3:00 P.M.

The earnest money in the shape of National Saivng certificate /time deposit /saving account in any of the post office/ saving bank account duly pledged in favour of Executive Engineer Mechanical Division HP PWD Kullu must accompany each tender. The tender received proper earnest money will summarily be rejected. The undersigned reserve the right to reject the tender without assigning any reasons. If holiday falls on date of opening of tender it will be opened on next working day

Sr. No.	Name of work	Amount Put To Tender	Cost of Tender Form	Earnest Money	Time Limit
1.	Construction of 4 Nos. Electro Mechanical Boom Barrier at Gulaba Tehsil Manali Distt Kullu (HP) (SH:- Construction of 3 Nos Booths)	1,47,066/-	350/-	2,950/-	One Month

Terms and Conditions:-
1. Copy of Latest renewal/ enlistment, sale tax number must also accompany with application for purchase of tender form.
2. The rates shall be valid up to 120 days
3. 10% security 2% income tax 3% sale tax 1% Labour cess also will also be deducted from the bill.
4. Conditional /telegraphic tenders are not acceptable.
5. Tender received after due date and time not be entertained.
6. The payment of the Job shall released only after completion of work and 210% security will be released after 6 Month duly certified by the Engineer -in-Charge.

Adv. No.-3495/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

राज्यपाल का किसानों से जीरो बजटिंग प्राकृतिक कृषि अपनाने पर बल

शिमला/भारती

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से आहवान किया है कि वे जीरो बजटिंग प्राकृतिक कृषि अपनाएं ताकि निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश भी सिक्किम की तरह जैविक राज्य बन सके।

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा मंडी जिला के करसोग में आयोजित जैविक खेती पर एक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि यह समय की मांग है कि जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए तथा यह तभी संभव है जब प्रत्येक किसान गो-पालन करे। उन्होंने कहा कि एक गाय तीस एकड़ भूमि की कृषि के लिए फायदेमंद है जो न केवल भूमि की उर्वरकता बढ़ाती है बल्कि अधिक पैदावार भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि

देसी गाय हर लिहाज से फायदेमंद है क्योंकि यह पारम्परिक खेती में सहायक होती है। आयार्च देवव्रत ने कहा कि हरित क्रांति के नाम पर देश में कैमिकल उर्वरकों व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हुआ जिससे कुछ हद तक उत्पादन तो बढ़ा परन्तु भूमि की उर्वरकता जाती रही। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े औद्योगिक घराने किसानों का शोषण कर रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र में अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से बीमारियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने का सबसे अधिक फायदा यह है कि इसमें कोई वित्तीय लागत नहीं आती और किसानों को इसके लिए बाहर की मंडियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को विदेशी नस्ल की संकर प्रजाति की गायों के स्थान पर देसी गाय पालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देसी गाय पहाड़ी प्रदेश के लिए और भी अधिक फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि सीमित खेती में अधिक पैदावार के लिए आवश्यक है कि किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं।

राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों तथा सत्त युवा विकास के सदस्यों का प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे पहली बार करसोग क्षेत्र आए हैं तथा उन्हें खुशी है कि यहां के लोग ईमानदार, मेहनतकश एवं प्रगतिशील हैं।

राज्यपाल ने किसानों से कैशलेश आर्थिकी अपनाने पर भर बल दिया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर तथा प्रदेश के प्रगतिशील किसानों द्वारा जैविक खेती पर लगाई गई प्रदर्शनी का उदघाटन किया।

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डा. अशोक कुमार सरियाल ने इस अवसर पर राज्यपाल को सम्मानित किया तथा कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग के दुष्प्रभाव से बचने का केवल यही उपाय है कि सभी लोग जैविक खेती अपनाएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ और विश्वविद्यालयों द्वारा भी अलग से जैविक खेती के विभाग स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा जैविक खेती पर अनुसंधान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में किसान शिविर लगाए जा रहे हैं तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के निदेशक विस्तार डा. पी.के. मेहता ने इस अवसर पर किसानों को जैविक खेती के बारे में अवगत करवाया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. एच.एल. शर्मा ने इस अवसर पर किसानों को जैविक खेती के लाभ एवं इसके प्रमाणीकरण के बारे में जानकारी दी।

युवा सत्त विकास के कार्यकारी निदेशक बिहारी लाल शर्मा ने इस अवसर पर संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केन्द्र सुंदरनगर के प्रभारी डा. पंकज सूद तथा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जैविक खेती विभाग के विभागाध्यक्ष जे.पी.सैनी ने भी राज्यपाल का स्वागत किया।

व्यापारियों के लिए जीएसटी के अस्थाई पंजीयन की सुविधा

शिमला/रीना चौहान

आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने बताया एक अप्रैल, 2017 से देश भर में जीएसटी लागू हो रहा है। जीएसटी लागू होने पर ऐसे व्यापारी जिनके पास वैट व विलास कर में वैध टीआईएन हैं को जीएसटी का अस्थाई पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है ताकि वह एक अप्रैल, 2017 से कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी व्यापारियों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जीएसटी पंजीयन का कार्य आरम्भ करने जा रही है। इन व्यापारियों को यह सुविधा ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग की वैबसाइट ww.hptax.gov.in पर 20 दिसम्बर, 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक उपलब्ध रहेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि इन व्यापारियों की सुविधा के लिए विभागीय वैबसाइट पर जीएसटी पंजीयन प्राप्त करने की प्रक्रिया बारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। कठिनाई होने पर व्यापारी संबन्धित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों व वृतों के आबकारी एवं कराधान अधिकारियों व दूरभाष न0 0177-26229836 व 26229825 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

पैंशनरों की पैंशन में बढ़ोतरी की घोषणा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार के पैंशनर, जिन्होंने 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को अगले वित्त वर्ष से क्रमश: 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की अतिरिक्त पैंशन दी जाएगी। इससे राजकीय कोष पर सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पैंशनर दिवस पर राज्य पैंशन कल्याण संघों के सम्मलेन को संबोधित

करते हुए यह घोषणा की।

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों तथा पैंशनरो के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में अपने कर्मचारियों को 2454.88 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस अवधि के दौरान पैंशनरों को 970 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ दिए हैं, जो सरकार की उसके कर्मचारियों व पैंशनरों के प्रति संवेदना को दर्शाता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों व पैंशनरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं और राज्य सरकार के कर्मचारी सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पैंशनरों की शिकायतों के निवारण के लिए पैंशनरों की संयुक्त सलाहकार समिति का गठन उनके कार्यकाल में ही सुनिश्चित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पैंशनरों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय राज्य को दिया है तथा हिमाचल को देश में एक आदर्श राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में यह सुनिश्चित किया है कि विकासात्मक गतिविधियों तथा कल्याणकारी योजना का लाभ निम्न स्तर में जीवनयापन कर रहे लोगों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 90 वर्षीय पैंशनर श्रीमती तारा गुप्ता सहित वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पैंशनरों को भी सम्मानित किया।

उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सभी पैंशनर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ है और उनकी सरकार आगामी विधानसभा चुनावों में उनके सहयोग से पुन: सत्ता में आएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के कुशल व गतिशील नेतृत्व में प्रदेश का तीव्र विकास सुनिश्चित बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सभी कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है।

पैंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष एच.आर.वशिष्ट ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए संघ की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

पैंशनर संघ के जिलाध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

पैंशनर संघ के महासचिव हरिचंद गुप्ता ने पूरी कार्यवाही का संचालन किया और धन्यवाद प्रस्तुत किया

आधार पंजीकरण में 100%लक्ष्य हासिल करने वाला देश का छठा राज्य बना हिमाचल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश आधार पंजीकरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य ने यह लक्ष्य 2015 की जनसंख्या के आधार पर अर्जित किया है। प्रदेश में 72,52,880 लोगों के आधार नंबर पंजीकृत किए गए हैं। आधार पंजीकरण में दिल्ली, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ पहले पांच स्थानों पर है।

प्रवक्ता ने इस उपलब्धि को अर्जित करने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को उनके मार्गदर्शन, प्रदेश के नागरिकों, सरकारी विभागों, सभी जिला अधिकारियों तथा इस मुहिम में सम्मिलत सभी लोगों का आभार जताया। भविष्य में इस शत-प्रतिशत उपलब्धि को कायम रखने के लिए प्रदेश में 0-5 वर्ष के आयुवर्ग के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 780 टेबलेट तथा स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से 250 टेबलट प्रदान किए गए हैं, जिससे नवजात शिशुओं का पंजीकरण किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि पांच वर्ष तथा 15 वर्ष के आयु के बाद आधार पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक अपडेशन अनिवार्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग के पास खंड स्तर पर अपडेशन और पंजीकरण गतिविधियों के लिए 240 स्थायी पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में शेष बचे नागरिकों और वृद्ध लोगों को पंजीकृत करने के लिए 22 आधार मोबाइल वेन भी संचालित की गई हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में नागरिकों की सुविधा के लिए आधार से संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए आधार हेल्प डेस्क कार्य कर रहा है और आधार संबंधी किसी भी जानकारी के लिए 0177-2626709 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आधार से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आधार नोडल अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी भवन, शोधी बाईपास रोड, मेहली शिमला के ई-मेल पते adhar/hp.gov.in पर भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए तथा इसे सरकारी सेवाओं में सम्मिलत करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने यूआईडीएआईए का इस पूरे अभियान में सहयोग के लिए आभार जताते हुए भविष्य में आधार की बेहतर सेवाएं देने की आशा व्यक्त की।

खेल गतिविधियों पर खर्च होंगे 59 करोड़ :मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि शिमला के दुधाल्टी में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज के अलावा कुटासनी में बहुद्देशीय खेल स्टेडियम भी जल्द ही तैयार किया जाएगा। यह बात उन्होंने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हो रही खेल गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि युवाओं की ऊर्जा का प्रदेश के विकास में सकारात्मक उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश में खेल गतिविधियों पर 59 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 22.31 करोड़ रुपये की राशि बहुद्देशीय खेल स्टेडियमों, खेल मैदानों तथा खेल छात्रावासों पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों महत्वपूर्ण खेल सुविधाओं की आधारशिलाएं जल्द ही रखी जाएगी, ताकि प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों के लिए यह सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

बेहतर रोजगार के लिए गुणात्मक कौशल प्रशिक्षण पर बल:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा पीटरहॉफ में आयोजित ''कौशल कन्क्लेव'' के अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव वीसी फारका ने कहा कि उद्योगों, वाणिज्य एवं कार्पोरेट सैक्टर में बेहतर रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए राज्य के युवाओं को गुणात्मक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास

निगम राज्य तथा राष्ट्र के उद्योगों की दीर्घकालीन मांग के मद्देनजर सभी बेरोजगारों, अकुशल और अर्ध कुशल व्यक्तियों को सशक्त बना रहा है। यह भी सुनिश्चित बनाया जाएगा कि तैयार की गई कुशल श्रमशक्ति को उद्योगों में उपयुक्त एवं शत-प्रतिशत रोजगार प्राप्त हो।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी कौशल विकास परियोजनाओं में उद्योगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाई गई है ताकि उद्योगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सही उम्मीदवार मिल सके।

मुख्य सचिव की उपस्थिति में इस अवसर पर चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें उषा इंटरनैशनल, रिलायंस रिटेल, एचआरटीसी तथा ऑटो स्किल काउंसिल शामिल हैं।

हि0प्र0 कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि भारत में विश्व की 25 प्रतिशत श्रमशक्ति मौजूद है जो यह दर्शाती है कि देश में युवा आबादी का एक मजबूत आधार है जिसका सदुपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है।

हि0प्र0 कौशल विकास निगम ने इस वर्ष फरवरी माह के दौरान विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ 19 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे। निगम ने विभिन्न आठ क्षेत्रों में राज्य के एक हजार युवाओं को पायलट आधार पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं जिसमें जानी मानी एजेंसियां तथा व्यापारिक घरानें युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे।

उच्च शिक्षा निदेशक डा. दिनकर बुड़ाथोकी ने कहा कि राज्य में स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक युवाओं को एक बृहद व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। आरंभ में राज्य के सौ स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसे बढ़ाकर 200 स्कूलों में शुरू किया जाएगा। राज्य के 16 महाविद्यालयों में आतिथ्य सत्कार एवं रिटेल पाठयक्रम आरंभ किए गए हैं। कृषि, बागवानी, जैवेलरी, हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्रों में भी संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ताकि निचले स्तर से ही प्रशिक्षित श्रम शक्ति को तैयार किया जा सके।

शिमला नगर निगम के महापौर संजय चौहान, उपमहापौर टिकेंद्र पंवर, अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कुमार, निदेशक एवं सचिव ग्रामीण विकास आरसेल्वम, निदेशक आयुर्वेद आरके प्रुथी सहित हि0प्र0 कौशल विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शाहपुर में जल्द खोला जाए एस. डी. एम. कार्यालय पठानिया का मुख्यमंत्री से आग्रह

शिमला/शैल। केवल सिंह पठानिया उपाध्यक्ष राज्य वन निगम हि. प्र. ने कहा कि चम्बा व किन्नौर के जंगलों में लगी आग पर वन विभाग के कर्मचारियों, सरकारी संस्थाओं व स्थानीय जनता के सहयोग से काबू पा लिया है। उन्होने कहा कि वन मंत्री के दिशा निर्देशों अनुसार भविष्य में नई तकनिक द्वारा फायर लाईन, आधुनिक उपकरणों के जरिये आग पर तुरन्त काबू पाया जायेगा। यह भी जानकारी दी की राज्य वन निगम में ईको टूरिज्म व माईनिगं का कार्य प्रगति पर है जो ईको टूरिज्म की 50 साईटें वन विभाग द्वारा राज्य वन निगम के लिये चिन्हित की है उनकी टेन्डर प्रक्रिया पूरी कर ली गई। वन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि माईनिग प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा किया जाये ताकि वन निगम की आय के साधन बढ़ सके व घाटे से उभारा जा सके।

केवल सिंह पठानिया मुख्यमंत्री से मिले उन्होने शाहपुर विधान सभा क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो की जानकारी दी व मुख्य मंत्री से आग्रह किया कि एस0 डी0 एम0 कार्यालय शाहपुर को जल्द खोला जाए जो कि पहले से ही स्वीकृत है। बिथलू से चमयारा वाया सुखूधार 3 कि0 मी0 सडक मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के तहत व घेरा से करेरी 4 करोड 32 लाख की राशि स्वीकृत मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना के तहत एवं गांव मनई, मावा, लघाणा, तरमुडा व सतवाणी को भी सड़क से जोडने के लिये मुख्यमंत्री से आग्रह किया। गांव भरनेट से घेरा सड़क के कार्य को जल्द करवाने के लिए भी आग्रह किया।

उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पशु औषधालय दरीणी को खोलने, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर आरम्भ, प्राथमिक पाठशाला दडला व पतन और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लन्ज को केन्द्रिय स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की गुजारिश की व आभार प्रकट किया।

ब्रह्माण्ड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हमीं हैं जो अपनी आँखों पर हाँथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अन्धेरा है.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

कौन रोक रहा है मोदी और राहुल को

भ्रष्टाचार और कालेधन पर कारवाई करना आसान नहीं है यह नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात से साफ सामने आ गया है। नोटबंदी कालेधन के खिलाफ एक कड़ा और सही कदम है यह संसद के अन्दर सारा विपक्ष भी सिन्द्धात रूप से स्वीकार कर चुका है। नोटबंदी पर जिस ढंग से अमल किया गया है उसके कारण आम आदमी को व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। निचले स्तर के रोजगार पर असर पड़ा है। किसान परेशान है लेकिन बड़े आदमी पर, कालाधन रखने वालों पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पडा है। भ्रष्ट मानसिकता बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों और कारोबारियों के गठजोड़ से खुलकर सामने आ गयी है। क्योंकि जिस मात्रा में छापेमारी के दौरान नये नोट थोक में पकड़े जा रहे हैं उससे आम आदमी का विश्वास इस फैसले पर से उठता जा रहा है। इस फैसले के अच्छे परिणाम भविष्य में सामने आयेंगे यह तर्क न तो स्वीकार्य हो सकता है और न ही ग्राह्य। क्योंकि इसके कारण जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपायी भविष्य मे संभव नही हो सकती। कैशलैस होने का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता पर भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों ने स्वयं प्रश्न चिन्ह लगा दिया है इसलिये कैशलैस लेनदेन इस समस्या का कतई हल नही है। क्योंकि साईबर अपराधी इतने आगे निकल चुके हैं कि एक फोन कॉल पर ही लाखों लूट लिये जाते हैं। नये नोट के साथ ही जाली नोट का बाजार में आना और उसका एटीएम तक पहुंच जाना कैशलैस व्यवस्था के लिये ऐसी चुनौतियां है जिनका हल अभी नही निकल सकता है। सिन्द्धात रूप में नोटबंदी का फैसला जितना सही है इस पर हुए अमल ने इसे उतना ही गलत प्रमाणित कर दिया गया है।

नोटबंदी पर उभरे गतिरोध से संसद सत्र स्वाह हो गया है। इसमें भी हद तो यह हो गयी कि लोकसभा में प्रचण्ड बहुमत लेकर सरकार बनाने के बावजूद प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिये उन्होने जनता से सीधे संवाद का रास्ता चुना है। लेकिन जनता से सीधे संवाद में प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वह व्यवहार में सामने नही आ रहा है। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि पचास दिन में सारी कठिनाईयां समाप्त हो जायेंगी। लेकिन अब पचास दिन के बाद धीरे-धीरे समाप्त होने की बात कही जा रही है। प्रधानंमत्री ने कहा था कि इस फैसले से कालाधन रखने वाले परेशान हो गये हैं परन्तु अभी तक कालाधन रखने वाले किसी की भी मौत नही हुई है मौत केवल लाईन में लगने वालों की हुई है। आम आदमी को शादी व्याह के लिये 2.50 लाख कैश ड्रा की सीमा लगा दी गयी फिर उसमें भी कई और शर्ते लगा दी गयी। जबकि जिन बड़े लोगों ने शादी समारोहों पर सैंकडो करोड़ खर्च कर दिये उन्होने कितना भुगतान डिजिटल किया है इस पर उठे सवालों का कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है।

दूसरी ओर विपक्ष में राहुल गांधी नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए यह कह रहे हैं कि उन्हे संसद में बोलने नही दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि उनके पास प्रधान मन्त्री मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं जिन्हें वह संसद में रखना चाहते हैं। लेकिन यदि संसद नही चल रही है तो राहुल मोदी की तर्ज पर जनता से सीधा संवाद स्थापित करके वहां इस घोटाले का पर्दाफाश क्यों नही करते? क्या देश संसद से बड़ा नही है? संसद और सरकार दोनों ही देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन राहुल का जनता के मंच को न चुनना कहीं न कहीं यह इंगित करता है कि वह इस पर राजनीति पहले करना चाहते है और राजनीति की गंध आते ही राहुल गांधी का पक्ष कमजोर हो जाता है। जबकि इसमें केजरीवाल राहुल से ज्यादा स्पष्ट हैं क्योंकि नोटबंटी को घोटाला करार देकर इस पर एक पत्र जनता के नाम जारी करके उसमें इस फैसले के बाद 63 उद्योगपतियों के 6000 करोड़ बट्टे खातों में डालने का तथ्य उजागर कर दिया। केजरीवाल के इस आरोप का खण्डन नही आ पाया है।

इस परिदृश्य में अन्त में जो स्थिति उभरती है उसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि नोटबंदी कालेधन के खिलाफ जितना सख्त कदम है उसे उसी अनुपात में असफल बनाया जा रहा है। इसमें यह सवाल उभरता है कि जिन लोगों पर इस फैसले पर अमल करवाने की जिम्मेदारी थी क्या उनका इस बारे में आकलन ही सही नही था या फिर वह स्वयं इसके खिलाफ थे। आज इस फैसले पर हुए अमल से देश के हर कोने में रोष है क्योंकि हर जगह लोगों को नोट लेने में लाईनों में लगकर खाली हाथ लौटना पड़ा है। इसलिये रोष को शांत करने के लिये हर बैंक की हर शाखा तक पहुंच कर कारवाई सुनिश्चित करनी होगी क्योंकि नोटों के वितरण की जिम्मेदारी इन्ही पर थी और इस व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी सरकार पर है। इसलिये अन्तिम जवाब सरकार से ही आना है।

मुख्यमंत्री आवास योजना में

सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए 1923 आवासों का निर्माण

आवास मानव जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं में से है। एक सामान्य नागरिक के पास अपने आवास का होना, उसे आर्थिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ऐसे में समाज के गरीब व पिछड़े वर्गो के परिवारों को अपना मकान मुहैया करवाने के लिए सरकार ने इंदिरा व अटल आवास योजनाएं शुरु की हैं। प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार को यह आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल हो, इसके लिए सरकार द्वारा इस वर्ष सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को उन्हें अपना आशियाना प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री आवास योजना' आरम्भ की गई है। इंदिरा व अटल आवास योजनाओं के तहत सरकार द्वारा पूर्व में 48,500 रुपये की सहायता धनराशि प्रदान की जाती थी जिसे बढ़ाकर अब 75,000 रुपये कर दिया गया है और इतनी ही राशि 'मुख्यमंत्री आवास योजना' के तहत भी प्रदान की जा रही है। चालू वित्त वर्ष में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 97 करोड़ रुपये की लागत से 12,000 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 12000 आवासों के निर्माण का लक्ष्य

शिमला। 'मुख्यमंत्री आवास योजना' के तहत समान्य श्रेणी के बी.पी.एल परिवारों को मकान बनाने के लिए 75,000 रुपये की सहायता धनराशि प्रदान की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 25 करोड़ की लागत से 1923 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ताकि सामान्य वर्ग के हर गरीब परिवारों को भी अपना आशियाना मिल सके।

इंदिरा आवास योजना के तहत गत चार वर्षो में 108.37 करोड़ रुपये व्यय कर 13808 आवासों का निर्माण तथा राजीव आवास योजना के तहत 33 करोड़ रुपये व्यय कर 3363 मकानों का निर्माण कर जरूरतमन्द परिवारों को आवास सुविधा सुनिश्चित बनाई गई। योजना के अंतर्गत इस वर्ष 19.70 करोड़ रुपये व्यय कर 1515 आवासों का निर्माण किया जा रहा है।

राजीव आवास योजना के तहत शिमला शहर के कृष्णानगर में 300 आवासों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से 33.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में 10.67 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी का आवास) के प्रथम चरण में प्रदेश की 13 शहरी स्थानीय निकायों क्रमशः शिमला, सोलन, नाहन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मण्डी, कुल्लू, धर्मशाला, चम्बा, परवाणु, बद्दी व नालागढ़ को शामिल किया गया है। प्रदेश के शेष 41 नगरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण में शामिल किया गया है।

हमीरपुर, शिमला, नाहन तथा धर्मशाला में शहरी बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है। प्रदेश के दस जिला मुख्यालयों में 10 शहरी जीवन यापन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को योजनाओं के अंतर्गत पूर्व में प्रदान किए गए मकान की मुरम्मत के लिए आवासीय उपदान 15,000 रुपये दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। राजीव आवास मुरम्मत योजना के तहत सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवारों को मकान की मुरम्मत के लिए भी धनराशि प्रदान की जा रही है। इस वर्ष योजना के तहत 3 करोड़ रुपये कर 1200 घरों की मुरम्मत करने का लक्ष्य रखा गया है।

गरीबों को अपना आशियाना प्रदान करने के सरकार के प्रयासों के अंतर्गत ही सरकार द्वारा पात्र आवासहीन व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

सामान्य नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के दृष्टिगत ही ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय सहायता तथा सामाजिक एकजुटता प्रदान करने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2013 से अब तक 13,260 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें 108.13 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे विभिन्न रोजगारपरक व्यावसाय आरम्भ करने से ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को जहां स्वरोजगार के अवसर हासिल हुए हैं वहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है।

इसी प्रकार से प्रदेश की मातृ शक्ति को सम्बल प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति बीमा योजना आरम्भ की गई है। योजना के तहत प्रदेश के कुल 658 बी.पी.एल. परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए 6.57 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को बाह्य शौचमुक्त करने में प्रदेश ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। अपने संजोए आदर्श 'स्वच्छ हिमाचल सुन्दर हिमाचल' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्ष 2015-16 में 477 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन लागू किया है। सरकार का यह प्रयास अभी भी जारी है तथा इसी दौरान सरकार द्वारा हिमाचल को मार्च, 2017 तक पूर्ण बाह्य शौचमुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था।

सरकार के सतत् प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को हाल ही में देश का दूसरा बाह्य शौचमुक्त राज्य घोषित किया जा चुका है। सरकार के प्रयासों के चलते गत चार वर्षो में प्रदेश में 3,03,103 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। महर्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार योजना के तहत बाह्य शौचमुक्त 97 विजेता पंचायतों को 1.47 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

संसदीय समिति की राय, प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल हो तय

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलंब के लिये लगातार कार्यपालिका को जिम्मेदार ठहराने और उस पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लग रहे आरोपों के बीच एक संसदीय समिति ने देश के प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल एक साल से अधिक समय का निर्धारित करने की सिफारिश की है।

समिति की इस सिफारिश पर यह सवाल उठना स्वाभाविक होगा कि आखिर देश की स्वतंत्र न्यायपालिका के इतिहास में अभी तक कभी ऐसा महसूस क्यों नहीं किया गया और अब इस तरह का सुझाव संसदीय समिति ने क्यों दिया?

संसदीय समिति ने प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का तय कार्यकाल नहीं होने की वजह से न्यायिक सुधारों में आ रही दिक्कतों पर विस्तार से गौर करने के बाद इस बारे में सुझाव दिया है।

समिति ने न्यायिक सुधारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के बाद यह महसूस किया कि प्रधान न्यायाधीश का तय कार्यकाल होना चाहिए ताकि वह न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में निर्णय ले सकें क्योंकि वह कॉलेजियम के प्रमुख होते हैं।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर व्यक्त की जा रही आशंकाओं के संदर्भ में संसदीय समिति ने कहा है, 'यदि न्यायिक स्वतंत्रता संविधान का बुनियादी ढांचा है तो संसदीय लोकतंत्र संविधान का ज्यादा बड़ा बुनियादी ढांचा है और न्यायपालिका संसद के अधिकारों को छीन नहीं सकती है।'

कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायालयों में लंबित मुकद्दमों की बढ़ती संख्या, उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जैसे अनेक बिन्दुओं पर विचार किया है।

संसदीय समिति ने हालांकि अपनी रिपोर्ट में प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिये कोई न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने की सिफारिश नहीं की है लेकिन ऐसा लगता है कि वह चाहती है कि इस पद पर आसीन न्यायाधीश को अपना कार्य करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

देश के प्रधान न्यायाधीशों के कार्यकाल पर नजर डालने पर पता चलता है कि पिछले 40 सालों में इस पद पर सबसे लंबे समय (सात साल से भी अधिक) तक न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ और सबसे कम समय तक न्यायमूर्ति के एन सिंह रहे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक प्रधान न्यायाधीश रहे जबकि न्यायमूर्ति सिंह 25 नवंबर, 1991 से 12 दिसंबर, 1991 तक इस पद पर आसीन रहे।

हालांकि संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'पिछले 20 सालों में उच्चतम न्यायालय में 17 प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किये गये और इनमें से केवल तीन का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक था। इनमें से कई न्यायाधीशों का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम था। भारत के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश (न्यायमूर्ति एसराजेन्द्र बाबू) का कार्यकाल एक माह से भी कम का था।'

इन बीस सालों में एक साल से कम अवधि तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहने वालों में न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा, न्यायमूर्ति एम.एम.पुंछी, न्यायमूर्ति एस.पी.भरूचा, न्यायमूर्ति बी. एन.किरपाल, न्यायमूर्ति अलतमश कबीर, न्यायमूर्ति पी.सदाशिवम और न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा जैसे न्यायाधीश शामिल हैं। इसी तरह, एक साल से अधिक परंतु दो साल से कम समय तक इस पर रहने वालों में वर्तमान प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर के अलावा न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू (अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधयक्ष),न्यायमूर्ति वाई.के. सभरवाल, न्यायमूर्ति आर. सी. लाहौटी और न्यायमूर्ति वी.एन. खरे शामिल हैं।

इन बीस वर्षों के दौरान दो साल से अधिक के कार्यकाल वाले प्रधान न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी, न्यायमूर्ति डॉ.आदर्श सेन आनंद और न्यायमूर्ति के.जी.बालाकृष्णन शामिल हैं जो क्रमश: 25 अक्तूबर, 1994 से 24 मार्च 1997 तक, 10 अक्तूबर 1998 से 31 अक्तूबर 2001 तक और 14 जनवरी 2007 से 12 मई, 2010 तक प्रधान न्यायाधीश रहे। इनके अलावा, न्यायमूर्ति एस.एच. कपाडिया का प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल भी दो साल से अधिक(12 मई, 2010 से 28 सितंबर, 2012)था।

इसके विपरीत, इस अवधि में प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस. राजेन्द्र बाबू का कार्यकाल एक महीने से भी कम यानी दो मई 2004 से 31 मई 2004 तक ही था।

न्यायमूर्ति राजेन्द्र बाबू से पहले 1991 में देश के प्रधान न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति के. एन. सिंह का कार्यकाल सिर्फ 17 दिन और न्यायमूर्ति जी. बी. पटनायक का कार्यकाल सिर्फ 40 दिन का ही था। न्यायमूर्ति के. एन. सिंह 25 नवंबर, 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक और न्यायमूर्ति पटनायक 8 नवंबर, 2002 से 18 दिसंबर, 2002 तक इस पद पर थे।

समिति का यह विचार पूर्णतया तर्कसंगत है कि प्रधान न्यायाधीश का अल्प कार्यकाल होने की वजह से उन्हें कोई बड़ा सुधार (न्यायिक) या दीर्घकालीन निर्णय लेने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलता है। समिति की इस सिफारिश पर अब सरकार को ही विचार करके निर्णय लेना है।

समिति का मानना है, 'प्रधान न्यायाधीश को बार-बार बदले जाने की वजह से कोई भी महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार, जिनके लिये उनका लंबे समय तक बना रहना आवश्यक होता है, संभव प्रतीत नहीं होता है।'

समिति का मत है कि संसद को न्यायपालिका में नियुक्ति हेतु प्रक्रियागत कानून लाना चाहिए क्योंकि प्रक्रियागत कानून के अभाव ने न्यायपालिका को कार्यकारी कृत्य में हस्तक्षेप के लिये जगह प्रदान कर दी है। इसी तरह, समिति चाहती है कि उच्च न्यायालयों में(न्यायाधीशों के) स्थानांतरण और तैनाती प्रणाली को भी संविधान में संशोधन कर प्रवर्तित किया जाये।

उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून और इससे संबंधित संविधान संशोधन पहले ही निरस्त कर चुकी है। इसके बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्तियों और न्यायालयों में लंबित मुकद्दमों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में समिति की राय है कि संसद को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया और इसके मापदंड को सहज बनाया जा सके। समिति का स्पष्ट मत है, 'न्यायपालिका में बढ़ी संख्या में रिक्तियों के लिये नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली जिम्मेदार है।'

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को लेकर

बार-बार उठाये जा रहे सवालों पर यही जवाब पर्याप्त लगता है कि 25 साल में पहली बार उच्च न्यायालयों के लिये एक साल (2016) में सर्वाधिक 126 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गयी जो एक रिकार्ड है। देश के 24 उच्च न्यायालयों के लिये न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 1079 है और अभी भी इनमें चार सौ से अधिक पद रिक्त हैं।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन में भाई भतीजावाद के आरोप समय-समय पर लगते रहे हैं। समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे दोहराते हुये कहा है, ''हमारे पास ऐसे उदाहरण विद्यमान है जहां तीन पीढियों से लोगों की नियुक्ति न्यायपालिका में हो रही है। जिला और उच्च न्यायालय में ऐसे मेधावी लोग हैं जिन्हें न्यायपालिका में पहुंचने का कभी अवसर नहीं मिलता है।'

चूंकि संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून निरस्त करने के अपने फैसले में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव का जिक्र करते हुये इसके प्रक्रिया ज्ञापन में सुधार पर जोर दिया था, इसलिए लंबे समय से अपेक्षा की जा रही है कि केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रक्रिया ज्ञापन, जो अगस्त महीने से प्रधान न्यायाधीश के समक्ष है, को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जायेगा।

उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया से संबंधित इस प्रक्रिया ज्ञापन को सर्वसम्मति से अंतिम रूप दिये जाने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अपेक्षित गति मिल सकती है। -पसूका-

भारत में कौशल विकास की चुनौतियां

के.एन.पाठक*

भारत को अपनी 60 प्रतिशत जनसँख्या क्रियाशील (कार्य करने वाली) आयु में होने का जनसांख्यिकीय लाभ है। भारत के समक्ष यह युवा शक्ति विकास दर में वृद्धि करने और शेष विश्व को कुशल श्रमशक्ति प्रदान करने का सुअवसर प्रदान करती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यह जनसांख्यिकीय फायदा इसलिए है क्योंकि भारत की क्रियाशील आयु वाली जनशक्ति अगले तीन दशकों, कम से कम 2040 तक, आश्रित जनसँख्या से अधिक बनी रहेगी।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत आकलन में कहा है कि भारत में वर्ष 2020 तक औसत आयु संयुक्त राज्य अमेरिका की 40 वर्ष, यूरोप की 46 वर्ष और जापान की 47 वर्ष के मुकाबले 29 वर्ष होगी। यह आकलन भी किया गया है कि अगले 20 वर्ष के दौरान दुनिया में औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या 4 प्रतिशत तक घटने की संभावना है, जबकि भारत में यह 32 प्रतिशत बढ़ जायेगी।

हालांकि हमारा देश एक विरोधाभासी स्थिति से गुजर रहा है जहाँ एक ओर पुरुष एवं महिलाएं काम की तलाश में श्रम बाजार में सम्मलित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उद्योग सही ढंग से प्रशिक्षित श्रम शक्ति की अनुपलब्धता की शिकायत कर रहे हैं। यह विरोधाभास बढ़ती हुई युवा जनसँख्या की नियोजनीयता में वृद्धि और तीव्र एवं समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अर्थव्यवस्था को तैयार करने के लिए कौशल विकास के महत्व को दर्शाता है। हालांकि श्रम बाजार की विविधता एवं असंगठित क्षेत्र के महत्व को देखते हुए ऐसा म डल तैयार करना चुनौतीपूर्ण है जो पारिस्थितिकी के समस्त महत्वपूर्ण भागीदारों-रोजगार प्रदाता, प्रशिक्षणकर्ता, प्रशिक्षु एवं सरकार-को लाभ पहुंचा सके।

यह विदित है कि कुल श्रम शक्ति का 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। लिहाजा कौशल विकास संबंधी कदमों की एक प्रमुख चुनौती इस विशाल जनसँख्या को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है, जिससे वो अपने लिए एक अच्छा कार्य सुरक्षित कर पाए और अपना जीवन स्तर उन्नत बना पाये।

कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति 2015 ने 2009 में निर्मित नीति का स्थान ले लिया है। मूल रूप से इसका उद्देश्य तेजी, गुणवत्ता और निरंतरता के साथ कौशल हासिल करवाने पर है। भारत श्रम रिपोर्ट, 2012 के अनुसार प्रकल्पना की गई है कि प्रतिवर्ष 12.8 मिलियन लोग श्रम बाजार में नये आते हैं, इसकी तुलना में हमारे देश में कौशल विकास की मौजूदा क्षमता 3.1 मिलियन है।

वर्ष 2012 से 2022 की कालावधि में पूरे देश में कौशल विकास के लिये मानव संसाधन आवश्यकता 12.03 करोड़ होने की प्रकल्पना की

गई है। इसलिये कौशल विकास संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अवसंरचना का विस्तार करने की अविलंब आवश्यकता है, जो कि वर्तमान क्षमता के चार गुने से भी अधिक है। मध्यावधि रणनीति के लिहाज से वर्ष 2015 से 2022 के मध्य श्रम शक्ति में 104.62 मिलियन नये प्रवेशकों को व्यावहारिक शिक्षा देने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारत सरकार के 21 मंत्रालय/ विभाग कौशल विकास कार्यक्रम में संलग्न हैं।

भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने की दिशा में अनेक प्रकार की चुनौतियों की पहचान की गई है। उदाहरणार्थ मौजूदा कार्यतंत्र की क्षमता में वृद्धि करना ताकि सभी के लिये न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित हो पाए और साथ ही उसकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता भी बरकरार रहे, यह एक बड़ी चुनौती है। इसके लिये प्रशिक्षकों के ज्ञान वर्द्धन के पर्याप्त प्रावधानों के साथ उद्योगों एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों के मध्य प्रभावी संबंध होने चाहिए। विद्यालयी शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे सरकारी प्रयासों के बीच प्रभावी सम्मिलन पर भी और कार्य किया जाना चाहिए। इन सभी को श्रम बाजार सूचना तंत्र के आनुरुप्य होना चाहिए। शोध विकास, गुणता आश्वासन, परीक्षा, प्रमाणन, सम्बद्धता एवं प्रत्यायन अन्य चुनौतियां हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि युवाओं को कौशल विकास अपनाने हेतु प्रेरणा देने के लिये इसको आकर्षक एवं उत्पादक बनाने की आवश्यकता है।

ऊपर दी गई चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार ने कुछ विशेष कदम उठाए हैं जिनमें संसृति हासिल करने एवं कौशल विकास को केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं का अविभाज्य हिस्सा बनाने के लिये उनका परस्परानुबंधन एवं परिमेयकरण शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी सरकारी योजनाओं में कार्यक्रम की आवश्यकताओं के लिहाज से एक अवयव कौशल विकास का ख्याल रखता है। देश के 21 उच्च विकास क्षेत्रों के लिये एनएसडीसी की ओर से कराए कौशल संबंधी अध्ययन से वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र की मानव संसाधन जरूरतें पता चलेंगी।

निगरानी एवं मूल्यांकन किसी भी विकास योजना की रीढ़ होते हैं। चूंकि कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति एक परिणाम आधारित नीति के तौर पर संरचित की गई है, कार्यान्वयन समेत एवं विभिन्न कदमों की प्रगति की समीक्षा और नीति के अंतर्गत सुधारात्मक उपायों के लिये एक नीति कार्यान्वयन एकक (पीआईयू) का गठन किया गया है। योजना में प्रतिपुष्टि के माध्यम से सुधार करने के लिये साझेदारों के मध्य लगातार मंत्रणा का प्रावधान रखा गया है। इस मोर्चे पर इच्छित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये यह जरूरी है कि देखरेख के साथ जल्द से जल्द कार्यक्रम का शीघ्र मूल्यांकन शुरू किया जाय। मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर हम प्रभावी कदम उठा कर कार्यान्वयन की प्रक्रिया में आई सभी कमियों को दूर कर पाएंगे। -पसूका-

पहले जमीनें ली अब रोजी छीन ली

शिमला/शैल। वो कभी जिस जमीन के मालिक थे आज उसी जमीन पर लगे कारखाने में मजदूर हैं और अब इन्हें इस कारखाने से भी नौकरी से हटा दिया है। आलम ये है कि अब इन मजदूरों के पास न तो जमीन रह गई है और न ही नौकरी। अभी 80 मजदूरों को नौकरी से निकाला गया हैं व करीब 120 मजदूरों की सूची तैयार है। कइयों को वीआरएस के जरिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है।

ये कांड कहीं और नहीं राजधानी शिमला से करीब 45 किलोमीटर दूर जिला सोलन की अर्की तहसील के दाड़लाघाट में लगे अंबुजा सीमेंट कंपनी के कारखाने में वीरभद्र सरकार की नाक के नीचे अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि अंबुजा कंपनी के कर्ताधर्ताओं और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के रिश्ते कभी सीडी के जरिए पूरे देश में गूंजे थे। रिश्तों के मामले में धूमल व शांता भी पीछे नहीं हैं। लेकिन जो कीमत अर्की तहसील के इन किसानों को चुकानी पड़ी हैं वो कई सवाल खड़े कर देती हैं।

हटाए गए मजदूरों की माने तो प्रदेश के बड़े उद्योगपति अंबुजा के इस कारखाने में घटे इस कांड में न तो प्रदेश विधानसभा से पास हुए कानून और न ही संसद से पारित कानून किसी काम आए हैं। सभी कायदे कानूनों को सूली पर लटका दिया हैं। मामला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लेकर प्रदेश के राज्यपाल व संबधित केबिनेट मंत्री के नोटिस में एक अरसे से है लेकिन सब मौन साध चुके हैं। उधर विपक्षी पार्टी भाजपा भी दुबक कर बैठ गई है जबकि स्थानीय एमएलए भाजपा से ही हैं।

अब नौकरी से निकाले ये मजदूर कंपनी के गेट के आगे विरोध पर बैठे है और 26 तारीख को महापंचायत बुलाने का एलान कर रखा है। अब इसका जो खुलासा हुआ वो रसूखदारों की नंगई को सामने ला देने के लिए काफी हैं।

अंबुजा सीमेंट ने 1993 में कशलोग के मदन शर्मा की चार बीघा जमीन 20 हजार बीघा के हिसाब से माइनिंग के लिए अधिग्रहित कर ली थी। हिमाचल सरकार व अंबुजा सीमेंट के बीच एक एमयूओ हुआ था जिसमें साफ लिखा है कि जिस भी परिवार की जमीन कारखाने के लिए अधिग्रहित की जाएगी उस परिवार के एक सदस्य को कंपनी में स्थाई नौकरी दी जाएगी। लेकिन मदन शर्मा ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला हैं। शर्मा ने कहा कि कंपनी ने उसे 1994 से 1998 तक ठेकेदार के पास रखा व 1998 में नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद 2008 में उसे दोबारा नौकरी पर बुलाया। लेकिन तब भी ठेकेदार के पास की रखा लेकिन उसे रेगुलर कभी नहीं किया। जबकि बाहरी राज्यों के लोगों को जो जी हजूरी करते थे उन्हें एक साल बाद ही रेगुलर कर दिया जाता रहा। अब कंपनी ने उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो कहते है कि उनके पास तो ड्राइविंग का हैवी लाइसेंस भी है लेकिन कंपनी ने तय कर लिया है कि इन्हें हटाना है तो फिर हटाना ही हैं।

वो सरकार के बाबू एसडीएम अर्की की ओर से 2011 को लिखा पत्र भी दिखाते हैं जिसमें एसडीएम ने अंबुजा कंपनी को आदेश देते हैं कि मदन शर्मा की जमीन कंपनी ने अपने कारखाने के लिए अधिग्रहित की है व एमओयू के तहत इसे स्थाई रोजगार दिया जाए। सरकार के इस बाबू का पत्र कंपनी के कारदारों ने रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिया। स्थाई रोजगार तो नहीं दिया उल्टे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन सरकार ने एमओयू का उल्लंघन करने व कानून तोड़ने के लिए कंपनी व इसके ठेकेदार के खिलाफ कुछ नहीं किया हैं। चूंकि आगामी साल चुनाव का है व नेताओं को चंदे की दरकार हैं। ऐसे में कुछ होगा इसमें संदेह हैं।

दास्तां एक मदन शर्मा की ही नहीं हैं। गांव संघोही बाजण के लेख राम के

ये रही एसडीएम अर्की की ओर से 2011 में अंबुजा कंपनी को लिखी

पास तो एक बीघा ही जमीन बची है बाकी चार बीघा जमीन अंबुजा कंपनी के लिए 2004 में 29 हजार प्रति बीघा के हिसाब से अधिग्रहित कर ली गई। उन्हें भी कंपनी ने स्थाई नौकरी देने का भरोसा दिया था। इन्हें 2006 में ठेकेदार के पास नौकरी पर रख लिया। लेख राम की माने तो उन्हें एक ठेकेदार से दूसरे ठेकेदार के पास ठेल दिया जाता रहा। कंपनी में जहां वो काम करते थे वहां कभी 24 लोग काम करते थे अब वहां केवल 3 ही लोग काम कर रहे है। मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा हैं। बताते हैं कि बुजुर्ग मां समेत पांच जनों का परिवार है गुजारा कैसे चलेगा ये मालूम नहीं हैं।

गांव खाता के नीलम चंद और हीरा लाल दोनों भाई हैं। नीलम बताते है कि कंपनी ने उन दोनों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये बताते है कि कंपनी को जब इनकी जमीन की जरूरत थी तो कंपनी के बड़े अफसर राकेश शर्मा रात को इनके घर आए व उनकी मां के आगे हाथ जोड़ कर कहा कि जमीन कंपनी को दे दें उनके बच्चों को स्थाई नौकरी पर रखा जाएगा। मां ने हां कर व 62 हजार प्रति बीघा के हिसाब से जमीन अंबुजा को दे दी। लेकिन बेटों को वादे के मुताबिक स्थाई नौकरी कभी नहीं मिली। हीरालाल को कंपनी ने 2008 व नीलमचंद को कंपनी ने 2009 में ठेकेदार के पास भेज दिया। अब दोनों को नौकरी से निकाल दिया। नीलम चंद बताते है कि उनके पास साढ़े तीन बीघा जमीन बची है। जिसमें दो बीघा घासनी है व बाकी पर मकान व खेत हैं। चूंकि पानी है नहीं ऐसे में खेती भी कैसे करेंगे।

गांव ब्राइली के कर्मचंद तो अब काम करने के काबिल भी नहीं रहे। वो 2006 से कंपनी में काम करते थे। अक्तूबर 2015 में मशीन में उनका दाहिना हाथ आ गया व अब ये हाथ बेकार हो चुका है। वो कहते हैं कि सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। मशीन में लॉक ही नहीं था व हाथ बेकार कर बैठे। थोड़ी बहुत जो जमीन थी उसमें से कुछ रोड़ के लिए चली गई व अब कुल दो बीघा जमीन बची है। वो कहते है कि उन्हें कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है व वो तो घर में भी कोई काम करने के काबिल नहीं बचे हैं। परिवार कैसे चलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है।

पछ्यूर गांव के कमलेश कुमार की दास्तां भी जुदा नहीं है। उनके पिता को अंबुजा के ठेकेदार के पास 1994 से 1998 तक नौकरी पर रहे। बीच में बेटे कमलेश कुमार को भी ठेकेदार के पास नौकरी मिल गई। पिता को नौकरी से हटा दिया गया तो वह उनकी जगह पर कमलेश को लगा दिया। कंपनी ने जब जमीन अधिग्रहित की थी तो इसके बाबूओं ने भरोसा दिया था कि स्थाई नौकरी दी जाएगी। लेकिन कमलेश कुमार भी बाकियों की तरह ठेकेदार के पास भेज दिए गए। इस परिवार के पास कुल 18 विस्वा जमीन बची है और उपर से ठेकेदार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

दाड़ला के बृजलाल को भी कंपनी ने ठेकेदार के पास 2008 में नौकरी दी थी। इनकी 1 बीघा तीन विस्वा जमीन 62 हजार प्रति बीघा के हिसाब अधिग्रहित की गई। इनके पास अब तीन चार बीघा जमीन ही बची है। वो बताते हैं कि कंपनी के अफसर राकेश शर्मा ने इनको भरोसा दिया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ट्रेनिंग तो नहीं मिली अब नौकरी से बाहर कर दिया है।

गांव मांगू के यशवंत भी 2007 से ठेकेदार के पास काम कर रहे थे, उनकी चार बीघा जमीन कंपनी अधिग्रहित कर रही है। दाड़लाघाट के ही जितेंद्र शुक्ला 2008 से यहां काम कर रहे थे। उन्हें भी निकाल दिया गया है। अंदरौली के दिनेश शर्मा 2007 से ठेकेदार के पास काम कर रहे थे। अब इनकी नौकरी भी नहीं रही है। बरशणु गांव के कुलदीप सिंह 2006 से काम कर रहे थे। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता रहा। वह कहते है कि उन्हें प्रोजेक्ट में लगाया गया बताया जा रहा है वो जब भी वेतन बढ़ाने की बात करते हैं तो कहते कि उन्हें कहा जाता रहा कि वो प्रोजेक्ट में है इसलिए उनकी सेलरी नहीं बढ़ाई जा सकती। जुलाई में 1800 रुपए प्रति महीना बढ़ाए लेकिन नवंबर में नौकरी से ही हटा दिया।

कंपनी के ठेकेदार के पास 2010 पीपलूघाट – सीमू के उमेश को भी नौकरी मिली। इनके पास 6 – 7 बीघा जमीन है जबकि गांव समाणा के मनोज 2009 से यहां काम कर रहे थे। इनके पास डेढ़ बीघा जमीन है। गांव कुनकुनु के प्रदीप भी 2010 से यहां काम कर रहे थे। इनके पास दो बीघा जमीन हैं लेकिन बंदरों की वजह से खेती भी नहीं हो सकती। कंपनी ने नौकरी से निकाला तो अब बेरोजगार हो गए हैं। गांव नवगांव के नरेश कुमार 2006 से नौकरी पर है इनके पास कुल

डेढ़ बीघा जमीन है। इन्हें भी निकाल दिया गया है। दाड़ला मोड़ के समीप गांव पनसौड़ा के खेमराज शर्मा 2007 से ठेकेदार के पास थे। निकाले गए मजदूरों की माने तो अब यहां का काम एल एंड टी को ठेके पर दिया जा रहा है।

राजस्थान के अशोक कुमार ठेकेदारों के पास 22 सालों से काम कर रहे थे। इन्हें भी रेगुलर नहीं किया गया व अब नौकरी से हटा दिया गया हैं। पीपलू घाट – कुलाणु के राजू 25 सालों से काम कर रहे थे। इसी तरह पट्टा सरयांज के लेख राम ठाकुर भी पिछले 22 सालों से अलग अलग ठेकेदारों के पास काम कर रहे थे। लेकिन उन्हें रेगुलर नहीं किया गया। आखिर में इन्हें भी नौकरी से हटा दिया गया है।

कंपनी के अफसर बताते हैं कि निकाले गए कामगार उनके कर्मचारी नहीं है वो ठेकेदारों के काम करते थे। ये टंपरेरी लेबर का काम करते थे। जब काम ही नहीं रहा तो उन्हें निकाल दिया। लेकिन मजदूर बताते है कि कंपनी में काम है। उनकी जगह पर दूसरे लोगों से काम चलाया जा रहा है।

अंबुजा कंपनी के एचआर हैड अविनाश वर्मा से उनका पक्ष जानना चाहा तो उनके जवाब चौंकाने वाले थे। उनसे पूछा गया कि मजदूरों को निकालने से पहले क्या सरकार व संबंधित अफसरों की मंजूरी ली गई थी। वर्मा ने कहा कि निकाले गए मजदूर अंबुजा कंपनी के मुलाजिम नहीं है। वो ठेकेदारों के पास टेंपरेरी आधार पर लगे थे। लेबर कानून कहता है कि अगर किसी ठेकेदार के पास सौ से कम लेबर है तो उसे उन्हें हटाने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन्हें हटाने से पहले इन्हें नोटिस दिया गया व उन्हें पूरा भुगतान कर दिया गया है।

ये पूछे जाने पर कि सरकार व अंबुजा प्रबंधन के बीच जो एमयूओ साइन हुआ था जिसके तहत जिन किसानों की जमीनें सीमेंट कारखाने के लिए अधिग्रहित होगी उनके परिवार से एक सदस्य को स्थाई नौकरी दी जाएगी। क्या कंपनी ने एमओयू का उल्लंघन नहीं किया है। वर्मा ने कहा कि हमने ठेकेदारों को कहा कि अगर ऐसे मामले हैं तो उन्हें वापस काम पर बुला लिया जाए। उन्हें कंपनी ठेकेदारों के पास क्यों भेज रही है। कंपनी के रोल पर क्यों नहीं रखती। वर्मा बोले, सभी को तो रेगुलर आधार पर नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा कंपनी ने कारखाना लगाने पर हजारों डॉलर लगा रखे हैं ऐसे में कंपनी की भी तो कोई अथारिटी होनी चाहिए। सरकार भी ठेके पर मुलाजिम ही रखती है व कानून इसकी इजाजत देता है। कंपनी ने कौन सा गुनाह कर लिया।

लेकिन कारखाने में सीटू की इकाई के अध्यक्ष लच्छी राम व कोषाध्यक्ष देवराज शर्मा कंपनी के दावों को दरकिनार करते है। वो कहते है कि कंपनी में काम है। उन्हें इसलिए निकाला जा रहा है कि उन्होंने लेबर कानूनों की उल्लंघना पर आवाज उठाई थी। चंडीगढ़ में लेबर मंत्रालय के अफसरों के पास मामला लंबित है। कंपनी खेल खेलना चाह रही है। लेकिन वो लेबर कानूनों की पालना के लिए जंग जारी रखेंगे। इन दोनों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। ये दोनों ये भी खुलासा करते है कि ठेकेदार को प्रति मजदूर 10 प्रतिशत कमिशन मिलती है। वो खूब कमाई करते हैं। वो पीएफ विभाग के 2000 – 2002 के कागजात भी दिखाते हैं जिसमें इनका पीएफ गुजरात अंबुजा सीमेंट कंपनी से काटा गया दर्शाया गया है। लेकिन बाद में ये ठेकेदार के सुपुर्द हो गए और पीएफ भी वहीं से काटे जाने लगा। वो कंपनी के मजदूरों को दोफाड़ करने का इलजाम भी लगाते हैं व कहते हैं कि भाजपा समर्थित भारतीय मजदूर संघ से जुड़े नौ कामगारों को भी निकाला गया था। लेकिन उन्हें दोबारा काम पर बुला लिया गया।

इल्जाम तो कई और भी संगीन हैं लेकिन उनकी सत्यता की दरकार अभी बाकी है। अब निगाहें वीरभद्र सरकार व उसकी करामाती मशीनरी पर लगी है कि वो इस मसले पर क्या करती है। सरकार व सरकारी मशीनरी की तरह स्थानीय कांग्रेस व भाजपा के नेता जिसमें विधायक भी शामिल है वो सब बेनकाब हो चुके हैं चूंकि इन कामगारों ने वामपंथियों के बैनर के नीचे हकों की आवाज बुलंद की है तो सब खिलाफ हो गए हैं। वजह सियासी ज्यादा हैं, जो बेनकाब तो होनी ही चाहिए।

सिरमौर महिला खरीद फरोख्त प्रकरण का राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान

जांच के लिये पहुंचा शिमला प्रदेश अध्यक्षा बैठक से रही नदारद

शिमला/शैल। हिमाचल के जिला सिरमौर में महिलाओं की खरीद-फरोख्त के मामलों को लेकर हिमाचल राज्य आयोग की ओर से दी गई क्लीन चिट को दरकिनार कर राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद मौके पर जाकर जांच पड़ताल करने का एलान किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोग को भी इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा ने राजधानी में मीडिया से कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग, आयोग की तीन सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। जिसमें एक सदस्य एनजीओ का भी होगा।

उन्होंने कहा कि ये मामला उनके ज़हन में हैं। उन्होंने राज्य महिला आयोग की ओर से इस मामले में दी गई क्लीन चिट पर भी सवाल उठाया व कहा कि बिना जांच किए कैसे क्लीन चिट दी जा सकती हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जेनब चदेल पर भी उन्होंने निशाना साधा व कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों व बैठकों में उन्होंने शिरकत नहीं की। इस बावत उनसे पूछा तो उनका (चंदेल) का जवाब था कि वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में होती थी। रेखा शर्मा ने कहा कि उन्होंने जेनब चदेल से कहा कि आप महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई तो मुख्यमंत्री से कम वास्ता रखा करों।

गौरतलब है कि जिला सिरमौर में महिलाओं की खरीद फरोख्त को लेकर

मीडिया में खूब मामले उठे थे। इस पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जेनब चंदेल सिरमौर गई थी व उन्होंने इस मामले में क्लीन चिट दे दी । इस पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मीडिया पर बरसे भी थे और शिलाई के एसडीएम का तबादला भी कर दिया था।

लेकिन अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला कर इस प्रदेश महिला आयोग व प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार की कलई खोलने का काम कर दिया है। पिछड़े राज्य सिरमौर में एक अरसे से महिलाओं व बच्चियों की खरीद फरोख्त के मामले उठते रहे हैं। लेकिन सरकारें हर बार कभी घरेलू झगड़ों का रंग देकर या कभी कुछ और बहाना लेकर सच्चाई से मुंह मोड़ती रही हैं। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की। ऐसे में उम्मीद की जा सकती हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले पर गंभीरता से रोशनी डालेगा। यहां यह गौरतलब है कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जेनब चदेल को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किया है तो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा केंद्र की मोदी सरकार के शासन में नियुक्त हुई है।

आयोग की सदस्य ने कहा कि लिंग आधारित अपराधों व महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। आयोग इसके लिए पैसा भी देता है व राज्य के आयोग के जरिए कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लेकिन हिमाचल महिला आयोग की ओर से उनसे कोई पैसा ही नहीं मांगा गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य की कमान में आयोग की टीम शिमला के दो दिन के दौरे पर है। इन दो दिनों में वो सौ मामलों की सुनवाई करेगी। उन्होंने प्रदेश की पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए व कहा कि पुलिस उन्हें एक्शन टेकन रिपोर्ट ही नहीं भेजती। सुनवाई के दौरान आयोग ने पुलिस, शिकायतकर्ता व पीडितों को बुलाया था। आयोग की सदस्य के यहां पहुंची पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों की भी क्लास ली। सुनवाई के दौरान उन्होंने पुलिस की ओर मुखातिब होकर कहा कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट वहां भी नहीं भेजते व यहां भी नहीं लाए हो।

उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों से हिमाचल से कुछ ज्यादा मामले आने लगे हैं व ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा के हैं। बहुत से ऐसे मामले आते हैं जो उनके क्षेत्राधिकार के नहीं होते । इस बावत वो कदम उठाने जा रही है।

मनरेगा में खर्च किए जाएंगे 600 करोड़ : अनिल शर्मा

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं सहित गांवों के विकास से जुड़ी अनेक योजनाएं एवं "लैगशिप कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा आरंभ की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राज्य में 11.88 लाख परिवारों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं, और ग्रामीण लोगों को उनके घर-द्वार के समीप रोजगार उपलब्ध करवाने के

उद्देश्य से गांव के विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

अनिल शर्मा प्रेस क्लब शिमला द्वारा आयोजित 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम तथा पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत राज्य को वर्ष 2016-17 के लिये 218.49 कार्य-दिवस अर्जित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें 649 करोड़ की मजदूरी राशि सीधे गांवों के लोगों के खातों में जाएगी। अभी तक 177.47 लाख कार्य दिवस अर्जित किए जा चुके हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 62 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत विकास की योजना पर 60-40 के अनुपात में खर्च किया जाता है, जिसमें 60 प्रतिशत की राशि बतौर मजदूरी व 40 प्रतिशत सामग्री पर खर्च करने का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 3.73 लाख परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया, जिसमें से 1626 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार शामिल है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 4.23 लाख परिवारों को यह रोजगार प्रदान किया गया था, जिनमें से 20302 परिवारों में 100 दिन का रोजगार पूरा किया। उन्होंने कहा कि अभी तक योजना के अंतर्गत 336.59 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि पिछले वर्ष केवल 391.52 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, क्योंकि केंद्र द्वारा वित्तीय लक्ष्य पर 45 प्रतिशत की कटौती की गई थी।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2015-16 के सोशल ऑडिट की प्रक्रिया जारी है और शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य देश का दूसरा बाह्य शौचमुक्त राज्य घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 60549 परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता के अंतर्गत 217 शौचालयों का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष के लिए राज्य की 617 ग्राम पंचायतों को चुना गया है। उन्होंने कहा कि मिशन के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्माण की फोटोग्राफी की जा रही है।

पशु पालन विभाग के माध्यम से हासिल उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य में 37 पशु अस्पताल खोले अथवा स्तरोन्नत किए हैं, जबकि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के पांच वर्षों में केवल दो पशु अस्पताल खोले थे। 45 नए नियमित पशु औषधालय खोले गए। उन्होंने कहा कि आवारा गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य में गौवंश संवर्द्धन बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऊना तथा बिलासपुर में दो पॉली क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 126 पशु चिकित्सा अधिकारियों तथा 298 फार्मासिस्टों की नियुक्ति की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में नई पशु प्रजनन नीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत देसी नस्ल की गायों का विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है। शिमला के घणाहटी तथा कांगड़ा के पालमपुर में 6.07 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक तरल नत्रजन संयत्र स्थापित किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि साहिवाल नस्ल को बढ़ावा देने के लिए राज्य को केंद्र सरकार से एक करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई है और इस पर कार्य चल रहा है।

अनिल शर्मा ने इस अवसर पर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कपिल व विकास मैमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया। ग्रीन-इलेवन ने प्रथम पुरस्कार, टीम रैड ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। रणजीत को मैन ऑफ द मैच जबकि देवेन्द्र को मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार प्रदान किये गए।

इससे पूर्व, प्रेस क्लब के अध्यक्ष धनन्जय शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब शिमला रक्तदान शिविर, पौध रोपण कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।

अनुराग ठाकुर ने अध्यक्ष पूनम महाजन को दी बधाई

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर, सांसद (हमीरपुर) ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में 'लगातार तीसरा कार्यकाल' पूरा करने पर आभार व्यक्त किया । उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा की वह एक मात्र

सौभाग्यशाली युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं जिन्होंने वर्तमान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के संरक्षण में संगठन का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनुराग ठाकुर ने पूनम महाजन को युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोनीत होने पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की।

ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया की पूनम महाजन के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा नए आयाम स्थापित करेगा। इस अवसर पर अपने भाव व्यक्त करते हुए ठाकुर ने कहा वह पार्टी के समर्पित सिपाही है। पार्टी द्वारा दी गयी हर जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से हर उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अपने अनुभव साँझा करते हुए ठाकुर ने कहा की उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देशहित में युवाओं से सरोकार वाले अनेक सराहनीय कार्यक्रम किये। कलकत्ता से कश्मीर तक की देश की अखण्डता सुनिश्चित करने वाली 'राष्ट्रीय एकता तिरंगा यात्रा' हो, 1962 युद्ध के शूरवीरों को नमन करने वाली, गुवाहाटी से तवांग तक 'शहीद श्रद्धांजलि यात्रा' हो, 'भारत प्रथम' की मुहीम हो, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए भीषण भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए 'संसद घेराव' और 'घोटालों की बारात' का कार्यक्रम हो, देशभर के युवाओं का एकत्रीकरण, 'राष्ट्रीय अधिवेशन' जैसे संगठनात्मक कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री जी की क्रांतिकारी योजनाओं को लेकर 'पंचक्रांति अभियान' हो या अब देशभर में युवाओं को नकद रहित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता फैलाने वाला 'डिजिटल पैसा' अभियान हो, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पूरी कर्मठता और निष्ठा से सभी कार्यक्रम सफल बनाये जिसके लिए वह प्रत्येक कार्यकर्ता का अभिनन्दन करते हैं ।

ठाकुर ने कहा की युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व पर सदैव अपना समर्थन, विश्वास और उनके प्रति अभूतपूर्व प्रेम रखा जिसके लिए वह सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भरोसा जताया की युवा मोर्चा आने वाले समय में भी युवाओं में जागरूकता एवं जोश भरने का कार्य करता रहेगा। युवा मोर्चा, भाजपा संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार देशहित में निरंतर कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री को भी देश के युवाओं से बहुत उम्मीद है। युवा मोर्चा इन सभी योजनाओं को जमीन पर आम जनता के बीच लेकर जाता रहेगा।

गौरतलब है की अनुराग ठाकुर पहली बार जून 2010 में, दूसरी बार 2013 में और तीसरी बार 2014 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनोनीत किये गए थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस में

क्या रैली से संगठन के भीतर उठते सवाल दब पायेंगे

शिमला / बलदेव शर्मा

वीरभद्र सरकार के सत्ता में चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर कांग्रेस पार्टी और सरकार धर्मशाला में एक रैली आयोजित करने जा रहे हैं जिसे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहूल गांधी संबोधित करेंगे। पिछले दिनों जब मण्डी में भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर रैली आयोजित की थी उसे वीरभद्र सहित पूरी कांग्रेस ने फ्लाप करार दिया था और दावा किया था कि सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर मण्डी के इसी मैदान में इससे ज्यादा भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का सफल प्रदर्शन करेंगे। अब कांग्रेस की यह रैली मंडी में न होकर धर्मशाला में होने जा रही है। रैली का स्थल मण्डी से धर्मशाला क्यों बदला गया इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। इस समय जिस परिदृश्य में कांग्रेस की यह रैली होने जा रही है यदि उस पर एक निष्पक्ष नजर दौडाई जाये तो जो सवाल उभकर सामने आते हैं उन पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

पहला सवाल यह सामने आता है कि अभी कुछ समय पूर्व ही यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश कांग्रेस की तिजोरी खाली हो चुकी है। अपने खर्चे चलाने के लिये पार्टी अपनी कुछ संपत्तियों को किराये पर देने जा रही है। पार्टी की सरकार प्रदेश में पिछले चार वर्षो से सत्ता में है। सत्तारूढ़ पार्टी को अपनी त्तिजोरी चार वर्ष के शासन के बाद भी खाली हो तो यह संगठन और सरकार के बीच तालमल की स्थिति का स्वत: प्रमाण बन जाता है। दूसरा सवाल है कि पिछले दिनों पार्टी के ही कुछ लोगों ने वीरभद्र ब्रिगेड का गठन किया। जब इस ब्रिगेड को समान्तर संगठन की संज्ञा दी गयी तो इसे तुरन्त भंग कर दिया गया। ब्रिगेड खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं से जवाब तलबी तक की गयी। ब्रिगेड के अध्यक्ष को पार्टी से निकालने तक की कारवाई हो गयी। लेकिन इस कारवाई के बाद ब्रिगेड से जुड़े लोगों ने थोडे समय बाद ही इस ब्रिगेड़ को थोड़े से बदलाव के साथ एक एनजीओ के रूप में पंजीकृत करवा लिया। यही नही ब्रिगेड के अध्यक्ष को ही एनजीओ का अध्यक्ष बनसया गया है और इस अध्यक्ष बलदेव ठाकुर ने पार्टी से निष्कासन को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुक्खु के खिलाफ कुल्लु की एक अदालत में मामला दायर कर रखा है। ब्रिगेड से एनजीओ बने इस ग्रुप को वीरभद्र और विक्रमादित्य का पूरा समर्थन हासिल है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि पार्टी ने कुछ संगठनात्मक जिले सृजित किये हैं लेकिन इन जिलों को मुख्यमन्त्री और उनके कई मंत्रीयों का समर्थन हालिस नही है।

चौथा सवाल है कि पिछले दिनों वीरभद्र सिंह ने संगठन में बनाये गये सचिवों के खिलाफ जिस तरह से अपनी नाराजगी जगजाहिर की है उसकी प्रतिक्रिया में कुछ सचिवों में सामूहिक रूप से अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था। इस त्यागपत्र प्रकरण के शांत होने के बाद कुछ जिलाध्यक्षों को हटाया गया और इस हटाने पर गंभीर नकारात्मक प्रतिक्रिया स्वयं मुख्यमन्त्री की ओर से आई है। विधानसभा चुनावों में टिकट आवंटन पर हाईकमान के दखल और प्रभाव के खिलाफ वीरभद्र के बेटे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य तीखा रोष प्रकट कर चुके हैं। वह इसमें हाईकमान के दखल के एकदम खिलाफ हैं। आज सरकार में कुछ सेवानिवृत अधिकारियों की अहम पदों पर नियुक्तियां वैसे ही जनता में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। इस कड़ी में पांचवा बडा सवाल यह है कि वीरभद्र जिस तरह के मामले सीबीबाई और ईडी में झेल रहे हैं कल जब उनके साये में चुनावों का समाना करना पड़ेगा तो पार्टी को एक बड़ा डिफेंस तैयार रखना पडेगा। पार्टी लोकसभा चुनावों में इन मामलों का असर भोग चुकी है। ऐसे और बहुत सारे मामलें है जो कभी भी उभर सकते हैं। फिर भाजपा अभी चार साल पूरे होने पर सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र राज्यपाल को सौपने जा रही है। यह आरोप पत्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार प्रमाणित होगा ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि आरोप पत्र आने से पहले ही जिस तरह की प्रक्रियाएं वीरभद्र की ओर आ रही हैं उससे यही संकेत उभरते हैं।

पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के भीतर की इस स्थिति से बहुत क्षुब्ध हैं। पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं का रोष कभी भी भड़क सकता है। इसका संकेत एक वरिष्ठ कार्यकर्ता डा. एस पी कत्याल द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र से सामने आ चुके हैं। इस पत्र में कार्यकर्ताओं की पीड़ा जिस ढंग से ब्यान की गयी है। उससे संगठन और सरकार में तालमेल के सारे दावों की हवा निकल जाती है।

कत्याल का पत्र

Esteemed Madam,

It is a matter of pride for us that a member of Nehru Gandhi lineage has chosen Himachal Pradesh and particularly Shimla for having a permanent residence here. You had been coming to Shimla a number of times to supervise the construction work here which is obvious as well because Smt. Priynka Gandhi Vadra is your daughter. Although these are termed as private visits but you are heading one of the largest political party of the world and Himachal Pradesh is in general a Congress dominated State. Leaders of Congress Party in Himachal Pradesh has steered the party clear of regional, caste, creed and other considerations unlike in other states where Congress has lost its traditional voter sections on one consideration or other. As ordinary members of the party we are just baffled whether it was never considered by you to meet those devoted workers who sacrifice everything to sustain the party in these rural areas and always long for having a glimpse of their leaders?. Even if these poor workers who do not have access and resources to come to Delhi are forgotten, is it not appropriate to meet the senior leaders of the state in the present political scenario of the country and the fact that Himachal Pradesh will be going to the polls next year? Smt.Indira Gandhi and Sh. Rajiv Gandhi made it a point to talk to party people even if they were on holidays and private visits because they considered Congress party as their family and felt happy and comfortable talking to party workers whenever and wherever they got the chance irrespective of their busy schedule. To Sh. Rajiv Gandhi the proximity to the people even cost his life. One of the major factors for the debacle of the party in the last general elections was that our National leaders were not close to and present in the public. This became the advantage of the man who was not even on the National scene and is now Prime Minister of India. The Flagship Programmes of Congress Government which were best in the world were not publicized in the public as they should have been due to absence of our National leaders in the public. The scene is no different even now. National Office Bearers of the congress party who have been assigned the charge of the state visits the state once in two years even when the congress party is not in power in the center. If our leaders will remain in the public and consider that party worker who is in a village and care for him the party does not need Parshant Kishores to plan its strategy and stage manage its shows. If the party which was once a National mass movement becomes a steering committee of few Rajya Sabha members and if it continues to be steered by these leaders only and our National leaders remain behind a thick veil distancing themselves from the dedicated party workers the prospects for 132 years old party and its ideology could not be improved even by a hundreds of Parshant Kishores. Congress party and its leaders have served the country for more than a century and made sacrifices but will all this be allowed to fade away and the party will be managed by business managers? If our National leaders are not visible everyday whom the present generation will look at? There are number of questions in the mind of a loyal dedicated congress worker and there is nobody to answer these questions. Senior leaders with invaluable experience are going to oblivion quietly and young leadership remains directionless. Democratic organizational structure remains derailed and traditional congress voters are either diminishing or are getting attracted to regional outfits. The desire of a congress worker is to have a strong high command with its eyes and ears all over the country and a presence in the masses so that the congress regains its National character again and the country is not submitted to regional and communal forces headed by a dictator. A congress worker desires that leaders of the party be visible, senior leaders are considered with their valuable experience, National leaders visits every nook and corner of the country not in a stage managed shows but to feel the pulse of masses and to know their vows, meet party workers frequently and provide directions and give importance to the local leaders so that the party is revitalized from the present slumber. Indian masses and a dedicated congressman still expects that the Congress leadership will uphold the historical, sacrificial , ideological and National values of the party for which it was known and will again lead the country on its path of progress for betterment of a common man.

With highest regards.

क्रिकेट या राजनीति चुनने के मुकाम पर पहुंचे अनुराग ठाकुर

शिमला/जे पी भारद्वाज

क्रिकेट जितना लोकप्रिय खेल बन चुका है इसमें उसी अनुपात में सट्टेबाजी खिलाडीयों की निलामी, मैच फिक्सिंग जैसे अवगुण भी आ चुके हैं। इन सबके साथ इस खेल का नियन्त्रण एकदम राजनेताओं के कब्जे में चला गया है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि आज हर खेल पर राजनेताओं का कब्जा हो गया है। इसमें हर छोटा – बड़ा राजनीतिक दल एक बराबर सलिप्त है। इस सलिप्तता का परिणाम हैं कि संसद से लेकर राज्य विधान सभाओं तक राजनीतिक दल खिलाड़ियों को टिकट देकर चुनावों में उतार रहे हैं। खेलों पर राजनेताओं का कितना नियन्त्रण हो इसको लेकर एक लम्बे अरसे से चिन्ता और चिन्तन चल रहा है। इसी के परिणामस्वरूप क्रिकेट को लेकर मुदगल केमटी और फिर लोढ़ा कमेटी का गठन हुआ। आज सर्वोच्च न्यायालय लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को अमली शक्ल देने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रयास पर देश के किसी भी कोने से किसी भी खिलाडी या खेल प्रेमी ने कोई एतराज नहीं उठाया है।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रयास पर देश में क्रिकेट की सर्वोच्च संचालन संस्था बीसीसीआई ने जिस तरह का स्टैण्ड लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर सर्वोच्च अदालत के सामने लिया है उससे सर्वोच्च न्यायालय और बीसीसी आई में टकराव की स्थिति बेहद संगीन हो गयी है। क्योंकि बीसीसी आई ने शपथ पत्र के माध्यम से जो कुछ सर्वोच्च न्यायालय में कहा है। वह पूरी तरह तथ्यों के विपरीत गंभीर गल्तब्यानबाजी बन गया है। यह शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के हस्ताक्षर से दाखिल हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस गल्तब्यानी का कड़ा संज्ञान लिया है। इसके लिये अनुराग ठाकुर को सर्वोच्च न्यायालय से व्यक्तिगत स्तर पर बिना शर्त माफी मांगने की नौबत आ गयी है अन्यथा इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। क्योंकि स्टैण्ड अलग होना और तथ्यों की गलत जानकारी देना दो अलग – अलग विषय है। यह मामला

तथ्यों की गलत जानकारी का बन गया है। इसमें माफी मांग कर वह बच जायेंगे लेकिन उनके विरोधी इस माफी का पूरा – पूरा राजनीतिक लाभ उठायेंगे।

बल्कि अब जिस ढंग से अमित शाह ने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा किसान मोर्चाओं के अध्यक्ष बदले हैं उन्ही के साथ युवा मोर्चा अध्यक्ष भी बदला गया है। लेकिन अनुराग के विरोधी इस बदलाव को भी राजनीति के आईने से देख रहे हैं। क्योंकि अभी जब अमितशाह पार्टी के त्रिदेव सम्मेलन के लिये सोलन आये थे तब उन्हें मंच से भाषण का अवसर नही मिल पाया था। इस अवसर न मिलने और उसके चार दिन बाद ही युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से उस समय छुट्टी हो जाना जब वह सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रकार से प्रताड़ना झेल रहे थे। बीसीसीआई का शपथ पत्र तथ्यों की गल्तब्यानी कैसे बन गया इसके लिये क्रिकेट बोर्ड के अन्दर क्या घटा है या फिर यह बोर्ड के किसी अधिकारी की गल्ती से हो गया है यह सारे खुलासे तो आगे चलकर बाहर आयेंगे। लेकिन इस समय इसकी गाज अकेले अनुराग को ही झेलनी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिकेट को लेकर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर जिस तरह के रूख के संकेत दिये हैं। उससे स्पष्ट हो गया है कि क्रिकेट के सर्वोच्च प्रबन्धन में अब बदलाव अश्वय देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के संकेत को समझते हुए अब शरद पवार ने महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि अभी अनुराग के लिये भी क्रिकेट या राजनीति मे से एक का चयन करने की बाध्यता आ जायेगी। राजनीतिक विश्लेष्को के मुताबिक क्रिकेट को राजनेताओं के दखल से मुक्त करने की जो कवायद अब शुरू हो गयी है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसमें खेल और राजनीति दोनों का साथ – साथ चलना संभव नही रह पायेगा। ऐसे में आज यदि अनुराग प्रदेश की राजनीति की ओर रूख करने का फैसला लेते हैं तो जो अनुभव इस समय उनके पास है उससे वहअपने विरोधियों पर भारी पड़ सकते हैं और राजनीति में एक लम्बी पारी खेल सकते हैं।

इस समयअनुराग की इन परिस्थितियों पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मुख्यमन्त्री के बेटे विक्रमादित्य ने जिस ढ़ंग से आक्रामकता दिखायी है उसके जवाब में भाजपा और अनुराग के शुभ चिन्तक कमजोर सिद्ध हुए हैं। विक्रमादित्य की इस आक्रामकता को भाजपा के भीतर बैठे अनुराग विरोधियों का भी अपरोक्ष समर्थन हालिस हो सकता है। इस समय यदि अनुराग इस उभरती आक्रामकता का उसी स्वर में जवाबे न दे पाये तो आने वाले समय में कठिनाईयां बढ़ सकती है।